<u>न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर</u>

पीठासीन अधिकारीः—संजय गोयल — आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्याः— 150 / 2012 (27 / 1990)

1. मुस0 बसन्ती बेवा सामलिया जाति फौजदार निवासी तुहिया तह0 व जिला भरतपुर (मृतक)

1 / 1. प्रीतम सिंह
1 / 2. सुरेश
1 / 3. राजेश

} पिसरान कल्यानसिंह जाति जाट निवासी तुहिया

....

वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार तामील जरिए तहसीलदार भरतपुर
2. तहसीलदार भरतपुर

..................प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 17—06—2019

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादीगण

इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वाके ग्राम बझेरा तह. भरतपुर स्थित साविक आराजी खसरा नंबर 639 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा के वादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड थे और आज भी मौके पर वादीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हैं। आराजी साविक खसरा नंबरान 639 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा को सिवायचक खिलाफ कानून दर्ज कर दिया और बन्दोबस्त विभाग ने हाल खसरा नंबर 650/1035 रकबा 2 एयर बंदोबस्ती जमाबंदी में अंकित कर दिया है जबकि बंदोबस्त विभाग को आराजी साविक खसरा नंबर 639 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा को सिवायचक दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। उनका यह कृत्य विरुद्ध कानून है। इस इन्द्राज के कायम होने के पश्चात प्रतिवादी वादीगण को ट्रेसपासर मानकर आराजी से जबरन बेदखल करने की नीयत रखते हैं और अपने उक्त उद्देश्य की पूर्ति में हलका पटवारी ने वादीगण को दिनांक 01.04.2019 को धमकी दी है कि या तो वादीगण सिवायचक आराजी को छोड़ दें अन्यथा वादीगण के विरुद्ध ट्रेसपासर की कार्यवाही कर वादीगण को आराजी से बेदखल कर दिया जावेगा। जबकि प्रतिवादी को एवं उसके कर्मचारियों को धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी की इस गलत कार्यवाही से राजस्व रिकार्ड की कायम रहने में वादीगण के विधिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडने की आशंका हो गई है। इसी कारण वादीगण सिवायचक रकबे को दुरुस्त कराकर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं। लैंडहोल्डर होने के कारण राज0 सरकार को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। उसके अधीनस्थ द्वारा की गई कार्यवाही के प्रति राज0 सरकार उत्तरदायी है। दावा करने से पूर्व राज0 सरकार के प्रतिनिधि जिला कलक्टर महोदय भरतपुर को नोटिस धारा 80 सी.पी.सी. जरिये वकील प्रेषित कराया जा चुका है। दावा आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र 80 (2) के साथ पेश किया जा रहा है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस प्रकार वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यह घोषित किया जावे कि वाके ग्राम बझेरा तह0 भरतपुर स्थित आराजी खसरा नंबर साविक 639 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा व हाल बंदोबस्ती खसरा नंबर 650/1035 रकबा 2 एयर के वादीगण खातेदार काश्तकार काबिज हैं तथा वादीगण के स्थान पर काश्त के खाते में किया गया सिवायचक इन्द्राज खिलाफ कानून है और काबिल निरस्ती है।

प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न करें।वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2026–2039, 2071–2074, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल खसरा पत्रक, नक्शा फोटो स्टेट हाल व साविक पेश किये हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध दिनांक 30.05.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में गवाह बीरबल सिंह PW1 व राधाकृष्ण PW2 के शपथ पत्र पेश हुए, अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर दिनांक 04.06.2019 को साक्ष्य वादी बंद किया जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

अभिभाषक वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी द्वारा अपनी बहस में दावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए, दावा डिक्री किये जाने का अनुरोध करते हुए अपनी बहस पूर्ण की।

हमने अभिभाषक वादी द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर

Web Copy - Not Official

उपलब्ध जमाबंदी संवत 2071–74 में वादग्रस्त खसरा नंबर 650 / 1035 रकबा 0.02 हैक्टेयर राज0 सरकार के नाम दर्ज है। जिसके कॉलम नं0 2 व 3 में राज0 सरकार का नाम स्पष्ट रूप से दर्शित है। वादी द्वारा साविक जमाबंदी संवत 2026, मिलान क्षेत्रफल की सत्यप्रतिलिपि पेश की हैं तथा फोटोप्रति खसरा गिरदावरी वादग्रस्त आराजी बावत पेश की है। सर्वप्रथम तो वादीगण के कथनानुसार साविक खसरा नंबर 639 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 650 / 1035 रकबा 0.02 है0 बनना अभिकथित किया गया है। इस तथ्य की बावत हमने मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया तो यह तथ्य सामने आता है कि मिलान क्षेत्रफल में खसरा नंबर 639 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा अंकित ही नहीं है, बल्कि यह खसरा नबर 13 बिस्वा के रूप में दर्ज है। स्वयं वादीगण द्वारा फोटोप्रति खसरा गिरदावरी पेश की है जिसके कालम सं0 25 में असल रकबा 650 / 0.20 का इन्द्राज दर्ज है, जो इस तथ्य का प्रमाण है कि वादीगण के साविक खसरा नंबर 639 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा से जो सही खसरा नंबर बना वह हाल खसरा नंबर 650 रकबा 0.20 है0 निर्मित हुआ है जो वादीगण के साविक रकबा के अनुपात में 3 एयर वेशी है। अब यदि ख0 नं0 650 / 1035 रकबा 0.02 है0 की बावत वादीगण के तथ्यों को मान भी लिया जावे तो रकबा 20+2=22 एयर हो जाता है जो कि साविक के अनुपात में 5 एयर वेशी हो जावेगा। वादीगण साविक के अनुपात में वेशी रकबा किस विधि के अनुसार ले सकते हैं, यह वादीगण ने स्पष्ट नहीं किया है अर्थात न्यायालय के मत में वादीगण साविक के अनुपात में वेशी रकबा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। वादी द्वारा जान–बूझकर हाल खसरा नंबर 650 / 0.20 की जमाबंदी पेश नहीं की है। जो इस तथ्य को साबित करती है कि वादीगण क्लीन हैण्ड से वादपत्र लेकर नहीं आये हैं और तथ्यों को छिपाकर वादपत्र प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में चाहे गये अनुतोष की बावत ऐसी कोई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे उसके वादपत्र में वर्णित तथ्य व चाहे गये अनुतोष की पुष्टि होती हो।

वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र में नोटिस दिये जाने का केई हवाला नहीं दिया गया है। और इसमें दिनांक का स्थान खाली है, इस प्रकार धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी अपूर्ण व अस्पष्ट होने की वजह से स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचनाुनसार दावा वादी सिद्ध नहीं होने से काबिल खारिज के है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादीगण सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री कायम हो। निर्णय आज दिनांक 17.06. 2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(संजय गोयल)

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर भरतपुर

Web Copy - Not Official